कार्यालय राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश, अनुभाग–16, लखनऊ।

संख्या ई-2219 /16–99 जी/2012/निविदा दिनांक 27 दिसम्बर, 2012

निविदा सूचना

(उत्तर प्रदेश के खातेदार/सहखातेदार कृषकों के लिए संचालित "कृषक दुर्घटना बीमा योजना")

उ0प्र0 राज्य सरकार द्वारा प्रदेश के 2.50 करोड़ खातेदार/सहखातेदार कृषकों के लिये संचालित कृषक दुर्घटना बीमा योजना के संचालन एवं कियान्वयन के लिए निम्न प्रकार मुहरबन्द निविदायें आमंत्रित की जाती है। खातेदार/सहखातेदार कृषकों की संख्या घट या बढ़ सकती है:–

1– कृषक का तात्पर्य राजस्व अभिलेखों में अर्थात् खतौनी में दर्ज खातेदार/सहखातेदार से है, जिसकी आयु न्यूनतम 12 वर्ष तथा अधिकतम 70 वर्ष हो। परन्तु बीमा आवरण की अवधि में 12 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर खातेदार कृषक भी योजना के अन्तर्गत पात्रता की परिधि में आयेंगे। इसी प्रकार बीमा आवरण अवधि में 70 वर्ष पूर्ण हो जाने पर भी खातेदार कृषक पात्रता श्रेणी में जाने जायेंगे।

2– बीमा आवरण की अवधि राजस्व परिषद एवं बीमा कम्पनी के मध्य मेमोरेण्डम ऑफ अन्डरस्टैडिंग (एम0ओ0यू0) हस्ताक्षरित होने की तिथि से एक वर्ष के लिये होगी।

3– बीमा का आवरण अधिकतम रू0 5,00,000/– (रू0पांच लाख मात्र) का होगा। बीमा की प्रीमियम की राशि राज्य सरकार द्वारा वहन की जायेगी।

4– उन्हीं निविदादाताओं की निविदायें विचारार्थ स्वीकार की जायेगी जिनके द्वारा इन्श्योरेन्स रेगुलेटरी एण्ड डेवलपमेन्ट अथारिटी, (आई0 आर0 डी0 ए0) से प्राप्त लाइसेन्स की प्रति संलग्न की जायेगी तथा जिनका कार्यक्षेत्र उत्तर प्रदेश राज्य भी है।

5– निविदादाता का उत्तर प्रदेश में कम से कम 10 मण्डल मुख्यालयों पर अथवा उसके किसी जनपद में एक कार्यालय तथा लखनऊ में अनिवार्य रूप से मुख्य कार्यालय होने चाहिये। निविदा स्वीकृत होने की दशा में सभी मण्डल मुख्यालयों पर कार्यालय स्थापित करने की वचन बद्धता सम्बन्धी पत्र देना होगा।

6– निविदा में भाग लेने वाली कम्पनी का कम से कम 50 लाख व्यक्तियों को एक ही बीमा पालिसी के अन्तर्गत एक वर्ष के लिए सफलतापूर्वक बीमा आवरण प्रदान करने का अनुभव होना अनिवार्य होगा अथवा कम से कम 50 लाख व्यक्तियों को किसी एक बीमा पालिसी के अन्तर्गत एकल या मुख्य बीमाकर्ता के रूप में अनुभव का प्रमाण–पत्र/साक्ष्य देना होगा।

7– यदि राज्य सरकार/परिषद ने किसी कम्पनी को ब्लैक लिस्ट कर दिया है तो वह कम्पनी इस निविदा में भाग नहीं ले सकती है।

8– निविदा के साथ धरोहर धनराशि रू0 350 लाख (रूपये तीन सौ पचास लाख मात्र) राष्ट्रीकृत बैंक का बैंक ड्राफ्ट जो आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश के पक्ष में हो, जिसका भुगतान लखनऊ में हो। जिन निविदादाताओं की निविदा स्वीकार नहीं होगी उनकी धरोहर धनराशि उनके आवेदन पत्र देने पर एक माह के भीतर वापस कर दी जायेगी।

..2..

9– निविदादाता बीमा कम्पनी का नेट वर्थ रू0 250 करोड़ होना चाहिए। इसकी पुष्टि हेतु निविदा के साथ चार्टर्ड एकाउण्टेट का प्रमाण पत्र संलग्न किया जाये।

10– सशर्त निविदा स्वीकार नहीं की जायेगी।

11– बीमा कम्पनी को किये जाने वाला भुगतान 50–50 प्रतिशत की दो किश्तों में किया जायेगा। दोनों किश्तों के बीच कम से कम 06 माह का अन्तराल होगा।

निविदा का फार्म राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के कार्यालय से रू0 500/– नकद देकर किसी कार्य दिवस में 21–01–2013 तक अपराह्न 04:00 बजे तक प्राप्त किया जा सकता है।

यदि निविदादाता उपर्युक्त कार्य करने की दक्षता रखता हो तो निविदा की शर्तों के अनुसार अपनी निविदा मुहरबन्द लिफाफे में जिसपर उत्तर प्रदेश के खातेदार/सहखातेदार कृषकों के लिए संचालित "कृषक दुर्घटना बीमा योजना" अंकित हो, को आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उ0प्र0, कैसरबाग, लखनऊ के कार्यालय में इस हेतु रखे गये बाक्स में दिनांक 22–01–2013 के अपराह्न 02:00 बजे तक किसी कार्य दिवस में डाल सकते हैं। प्राप्त निविदाएं दिनांक 22–01–2013 को अपराह्न 03:00 बजे आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उ0प्र0, लखनऊ की अध्यक्षता में गठित निविदा समिति के समक्ष खोली जायेगी। इस समय निविदादाता यदि चाहे तो स्वयं या उसके द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित रह सकते हैं।

राज्य सरकार को किसी निविदा को पूर्ण अथवा आंशिक रूप से स्वीकार/अस्वीकार करने तथा शर्तों आदि में संशोधन करने व शिथिलता प्रदान करने का अधिकार होगा। निविदा के किसी भी नियम/शर्त में परिवर्तन, शिथिलीकरण, संशोधन, परिवर्द्धन अथवा उसके निरसन के पूर्व सभी सम्बन्धित को सूचित करने के लिए आवश्यक प्रकाशन किया जायेगा।

(रजनीश गुप्ता)
आयुक्त एवं सचिव।